मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/MGNREGS-MP/NR-3/2010/ 4044 भोपाल, दिनांक 24/04/2010

प्रति,

- कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
  महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
  जिला समस्त म.प्र.

विषय: बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना के स्वीकृत कार्यो हेतु आवंटन एवं मस्टररोल जारी करने बावत्।

—0—

बारहमासी ग्रामीण सड़क योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि समय–सीमा में पूर्ण की जाना है। अतएव प्रशासकीय स्वीकृति के साथ ही स्वीकृत की 50% राशि कार्यपालन यत्री/प्रोजेक्ट मैनेजर को उपलब्ध करायी जावे तथा जारी राशि की 60 प्रतिशत राशि व्यय होने पर शेष राशि भी आवंटित कर दी जावे, ताकि कार्य को संपादित करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

इसके साथ ही स्वीकृत सड़कों में त्रैमासिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मस्टररोल एवं माप पुस्तिका कार्यपालन यंत्री/प्रोजेक्ट मैनेजर को कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सीधे उपलब्ध कराये जावें।

कृपया उक्त व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/MGNREGS-MP/NR-3/2010/ 4045 भोपाल, दिनांक 24/04/2010

प्रतिलिपि–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
2. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, भोपाल।
3. संभागीय आयुक्त(समस्त) मध्यप्रदेश।
4. अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल..............................(समस्त)
5. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जिला (समस्त) म.प्र.
6. कार्यक्रम अधिकारी (समस्त) जनपद पंचायत म.प्र.

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग